Annexure-I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937
No. 2620] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3305(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,—

(क) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
5क	ताप विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा)	जल उपभोग	I. एक बार शीतलन (ओटीसी) के माध्यम से सभी संयंत्र शीतलन टावरों (सीटी) को प्रतिष्ठापित करेंगे और अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम 3.5m^3/MWh के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को हासिल करेंगे।

			II. सभी विद्यमान सीटी-आधारित संयंत्र 3.5m^3/MWh इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकतम 3.5m^3/MWh तक के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को कम करेंगे। III. जनवरी, 2017 के पश्चात् प्रतिष्ठापित किए जाने वाले नए संयंत्र अधिकतम 2.5 m^3/MWh तक के विनिदिष्ट जल उपभोग को पूरा करेंगे और शून्य जल द्रव्य को हासिल करेंगे।

(ख) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
		विवक्त पदार्थ	100 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड(SO_2)	600 mg/Nm^3 (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NOx)	300 mg/Nm^3
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		1 जनवरी, 2003 के पश्चात् 31 दिसंबर, 2016* तक प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	50 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड (SO_2)	600 mg/Nm^3 (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NOx)	300 mg/Nm^3
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3
		1 जनवरी, 2017** से प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	30 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड (SO_2)	100 mg/Nm^3
		नाइट्रोजन के आक्साइड	100 mg/Nm^3

		(NOx)	
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3

* टीपीपी (इकाईयां) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर परिसीमाओं को पूरा करेंगी।

** इसके अंतर्गत सभी टीपीपी (इकाईयां) हैं, जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई है और संनिर्माण के अधीन है।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 844(अ) 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987 ; सा.का.नि 176(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फ़रवरी, 2009 ; सा.का.नि 149(अ) तारीख 4 मार्च, 2009 ; सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई, 2009 ; सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2010 ; सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 221(अ) तारीख 18 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 354(अ) तारीख 2 मई, 2011 ; सा.का.नि. 424(अ) तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.नि. 446(अ) तारीख 13 जून, 2011 ; सा.का.नि. 152(अ) तारीख 16 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 266(अ) तारीख 30 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 277(अ) तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2012 ; सा.का.नि. 176(अ) तारीख 18 मार्च, 2013 ; सा.का.नि. 535(अ) तारीख 7 अगस्त, 2013 ; सा.का.नि. 771(अ) तारीख 11 दिसम्बर, 2013 ; सा.का.नि. 2(अ) तारीख 2 जनवरी, 2014 ; सा.का.नि. 229(अ) तारीख 28 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 232(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 325(अ) तारीख 7 मई, 2014, सा.का.नि. 612(अ) तारीख 25 अगस्त, 2014 और अन्तिम संशोधन सा.का.नि. 789(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2014 किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

S.O. 3305(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:–

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, -

(a) after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:–

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"5A.	**Thermal Power Plant (Water consumption limit)**	**Water consumption**	I. All plants with Once Through Cooling (OTC) shall install Cooling Tower (CT) and achieve specific water consumption upto maximum of 3.5m^3/MWh within a period

			of two years from the date of publication of this notification. II. All existing CT-based plants reduce specific water consumption upto maximum of 3.5m^3/MWh within a period of two years from the date of publication of this notification. III. New plants to be installed after 1st January, 2017 shall have to meet specific water consumption upto maximum of 2.5 m^3/MWh and achieve zero waste water discharged";

(b) for serial number 25, and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"25.	Thermal Power Plant	**TPPs (units) installed before 31st December, 2003***	
		Particulate Matter	100 mg/Nm^3
		Sulphur Dioxide (SO_2)	600 mg/Nm^3 (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm^3 (for units having capacity of 500MW and above)
		Oxides of Nitrogen (NOx)	600 mg/Nm^3
		Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm^3(for units having capacity of 500MW and above)
		TPPs (units) installed after 1st January,2003, upto 31st December, 2016*	
		Particulate Matter	50 mg/Nm^3
		Sulphur Dioxide (SO_2)	600 mg/Nm^3 (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm^3 (for units having capacity of 500MW and above)
		Oxides of Nitrogen (NOx)	300 mg/Nm^3
		Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm^3
		TPPs (units) to be installed from 1st January, 2017**	
		Particulate Matter	30 mg/Nm^3
		Sulphur Dioxide (SO_2)	100 mg/Nm^3
		Oxides of Nitrogen (NOx)	100 mg/Nm^3
		Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm^3

*TPPs (units) shall meet the limits within two years from date of publication of this notification.

**Includes all the TPPs (units) which have been accorded environmental clearance and are under construction".

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications:—
S.O. 433(E), dated 18th April 1987; G.S.R. 176(E) dated 2nd April, 1996; G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March , 2009; G.S.R. 543(E), dated 22nd July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215(E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277(E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612,(E), dated the 25th August, 2014 and lastly amended vide notification G.S.R. 789(E), dated 11th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2016/फाल्गुन 17, 1937
No. 590] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2016/ PHALGUNA 17 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

का.आ. 682(अ).—भारत के राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 3305(अ) तारीख 7 दिसंबर, 2015 द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लिखित प्रविष्टियों को निम्न पढ़ें:

1. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 2 के नीचे सारणी में स्तम्भ 3 और 4 में "31 **दिसंबर**, 2003 **से पहले संस्थापित टीपीपी (इकाईयां)**"

2. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 6 की सारणी के स्तम्भ 4 में "300 mg/Nm^3" के स्थान पर "600 mg/Nm^3" पढ़ें

3. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 8 की सारणी के स्तम्भ 3 और 4 में "1 जनवरी, 2003" के स्थान पर "1 **जनवरी**, 2004" पढ़ें

[फा.सं. क्यू.15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th March, 2016

S.O. 682(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in page 4, in the Table, against serial number 25, for "1st January, 2003" substitute "1st January, 2004".

[F.No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.